दून विश्वविद्यालय, देहरादून

कुलसचिव कार्यालय

सं0–212/आर.–डी.यू./2024 दिनांक– 28, मार्च 2024

कार्यालयादेश

इस कार्यालय के आदेश सं0 952 दिनांक 14 दिसम्बर 2023 तथा सं0 989 दिनांक 27 दिसम्बर 2023 के माध्यम से विश्वविद्यालय परिसर में वाहनों के संचालन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये थे। उक्त के क्रम में परिसर में सभी की सुरक्षा के दृष्टिगत, वाहनों के संचालन के सम्बन्ध में पुनः निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं–

1. वाहन को निर्धारित पार्किंग स्थल में ही पार्क करें। पुरुष छात्रावास, महिला छात्रावास तथा पुस्तकालय भवन के समक्ष तथा आस पास कोई दोपहिया अथवा चारपहिया वाहन खड़ा नहीं किया जायेगा। दोनों छात्रावासों एवं अकादमिक–3 के समस्त स्टाफ अपने वाहन डा0 नित्यानन्द भवन की पार्किंग में खड़े करेंगे।
2. परिसर के अन्दर पैदल चलने के लिये अधिक से अधिक फुटपाथ का प्रयोग करें।
3. परिसर के अन्दर किसी भी प्रकार की ड्राइविंग न तो सीखी जायेगी और न ही सिखायी जायेगी।
4. परिसर में निवासरत फैकल्टी, कर्मचारियों एवं छात्रों से अपेक्षा है कि आवास से कार्यालय अथवा क्लास में जाने के लिये वाहन का कम से कम प्रयोग करें।
5. परिसर के अन्दर वाहन सीमित गति से चलायें। निर्धारित सीमा से अधिक गति तथा प्रतिबन्धित साइलेन्सर एवं हॉर्न युक्त वाहन का प्रवेश परिसर में पूर्णतः वर्जित है।
6. छात्र छात्रायें, कर्मचारी एक भवन से दूसरे भवन में जाने के लिये वाहन का प्रयोग अनावश्यक रूप से नहीं करेंगे। पार्क करने के उपरान्त वाहन का इस्तेमाल बहुत ही आवश्यक हुआ तो ही करें।
7. सभी फैकल्टी एवं कर्मचारियों के वाहनों पर निर्धारित स्टीकर लगा होना चाहिये ताकि सुरक्षाकर्मियों को अनावश्यक वाहनों को रोकना न पड़े।
8. आवश्यक सेवाओं यथा गैस, दूध, फल, सब्जी इत्यादि को छोड़कर समस्त डिलिवरी वाहन मुख्य गेट पर ही डिलिवरी देंगे उन्हें परिसर के अन्दर जाने की अनुमति नहीं होगी।

विश्वविद्यालय परिसर को हरित परिसर तथा किसी भी प्रकार के प्रदूषण से मुक्त बनाये रखने के लिये सभी फैकल्टी, कर्मचारियों एवं छात्रों से सहयोग की अपेक्षा की जाती है। परिसर में वाहनों के अत्याधिक दबाव तथा इस कारण किसी भी दुर्घटना से बचने के लिये सभी का दायित्व है कि निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन करें।

(डा0 एम0एस0 मन्द्रवाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. वैयक्तिक सहायक कुलपति को कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
2. समस्त डीन/विभागाध्यक्ष/अधिष्ठाता छात्र कल्याण/चीफ प्रॉक्टर/चीफ हॉस्टल वार्डन/समस्त फैकल्टी सदस्य।
3. वित्त नियन्त्रक/उप कुलसचिव/सहायक अभियन्ता/सहायक कुलसचिव।
4. समस्त स्टाफ/छात्र परिषद के प्रतिनिधि/समस्त नोटिस बोर्ड।
5. आई.टी प्रभारी।
6. सुरक्षा सुपरवाइजर।

(डा0 एम0एस0 मन्द्रवाल)
कुलसचिव